

उत्तर प्रदेश शासन  
कार्मिक अनुभाग-1

संख्या-7/2019/13/34/1990-का-1-2019

लखनऊ :: दिनांक 14 नवम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड नियमावली, 1994" में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड  
(चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019

- संक्षिप्त नाम 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 " कही जायेगी।
- और प्रारम्भ (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- नियम 4 का 2- "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये प्रतिस्थापन मानदण्ड नियमावली, 1994" में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 4 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मानदण्ड	4- विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद पर जिनके वेतन बैंड-4 (रु0 37400-67000) और ग्रेड वेतन रु0 8700/-	4- विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद पर जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (रु0 1,23,100-2,15,900) या इससे अधिक हो,

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,  
मुकुल सिंहल  
अपर मुख्य सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।